

29<sup>10</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीज  
निर्वाचन कार्य।  
में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना  
में दिनांक 05.11.2020 को पेश हो।  
8.0  
21

05<sup>11</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीज  
निर्वाचन कार्य।  
में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना  
में दिनांक 19.11.2020 को पेश हो।  
8.0

12<sup>11</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीज  
निर्वाचन कार्य।  
में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना  
में दिनांक 14.12.2020 को पेश हो।  
8.0

14<sup>12</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील  
उपस्थित है। तहसीलदार गढ़बोरे की  
रिपोर्ट अज्ञात। पुनः लिखा जावे।  
पत्रावली दिनांक 23.12.2020 को  
पेश हो।

23<sup>12</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील  
उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 24.12.2020  
को पेश हो।

24<sup>12</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील उपस्थित है।  
अधिवक्ता वकील भी व्यस्त हुनी गयी।  
अधिवक्ता वकील ने वाफ पत्र में अंकित  
तथ्यों को दोहराते हुए अपनी  
व्यक्त में बताया कि ग्रामलोक  
पटवार एल्का साधिया तहसील  
गढ़बोरे की पत्रावली क्रम  
2071 से 74 के खाना संख्या  
22, 12, 86, 83, 70, 64, 63,  
62, 61, 60, 59, 58, 57, 56,  
55, 54 अधिवक्ता वकील की



सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
जिला-राजसमन्द

यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

५२ सन् २०१९ किस्म मुकदमा १५


भवंत सिंह वनाम राजस्थान राज्य

आदेशिका हस्ताक्षर / सूचना

सहायतादेगी आदिपत्र श्री डी जी राजस्व रेकर्ड में भवंत सिंह मु. नंग के नाम से दर्ज रेकर्ड हैं। वादी के पिता का वास्तविक नाम नोजा सिंह उर्फ नोजा सिंह हैं जिसकी तहसील में आधार कार्ड लिजली बिल गौरा गोरामात बुडुं, कैंड अफ बुडुं का पाय बुडुं, जीवन बीमा-घांतीली, वोटर कार्ड डी. आई. पेंशन कार्ड, लिफ्ट पत्र इल्पाई भी फोये जारी पेश की है। स्वयं का व मोटर सिट, डैमर सिट के शपथ पत्र पेश किए हैं। ग्रामपंचायत सक्षिपा व ग्रामवासी लोटर का प्रमाण पत्र पेश किये हैं।

राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम नंग व नंग सिंह गलत दर्ज है जस है। अतः राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का गलत नाम मु. नंग व नंग सिंह बिलोपित करा सही नाम नोजा सिंह उर्फ नोजा सिंह दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से सिद्ध है कि दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम नोजा सिंह व नोजा सिंह हैं, ग्रामपंचायत सक्षिपा व ग्रामवासी के पत्र अनुसार भी नंग व नोजा सिंह लड ही व्यक्ति होता सिद्ध है। वादी स्वयं का व मोटर सिट, डैमर सिट के शपथ पत्र अनुसार वादी के पिता का गलत नाम नंग व नंग सिंह राजस्व रेकर्ड में बिलोपित किया जाता व सही नाम नोजा सिंह उर्फ नोजा सिंह का सही नाम नोजा सिंह उर्फ नोजा सिंह रक्षिपा जाता न्यायोचित प्रतीत होता है।



सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़  
जिला-राजसमन्द

भारत वादी का वाद रन्वीरार डिप्राजात  
 है व उम्त्र ग्राम लोए के उम्त्र वर्जित  
 रन्वीरार के राजस्व रिक्वाई मे वादी के  
 पिता का जलत्र नाम नगं व नगारिंद  
 विलोपित करने व सही नाम नोजारिंद  
 उर्ध्व नेज सिंद का अंकन करने का  
 आदेश दिया जात है। तदनुसार  
 डिडी पन्च जारी डिप्रा जात है।  
 पालना हेतु डिडी की उम्त्राणित प्रति  
 बटरीलगर गढ़कोर की भंजी जावे।  
 पत्रावली कैरुल शुभार ही कर  
 लम्बर से कर है। निरूपि  
 खुले न्यायालय में खुलापा अपा।



सहायक कलेक्टर  
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
 जिला-राजसमन्द